14.09.2021

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम मझाउ के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 155 जिसके गत खसरा नम्बर 78 थे, की वर्तमान नक्शा सीट(सन् 1979–80) में डोटेड़ रास्ता को गत नक्शा सीट (सन् 1936–37) के अनुसार कायम/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। मौके पर वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 155 की भूमि का जितना क्षेत्रफल मौजूद है उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया जावेगा। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी तदनुसार नक्शा सीट दुरूस्ती की कार्यवाही करें।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

आदेश	कार्यवाही विवरण 84/2021 छोटूराम बनाम सरकार	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
14.09.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0 एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिर्पोट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, शपथ पत्र छोटुराम, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 14.09.2021 का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थी का सही नाम छोटूराम पुत्र सुवालाल है तथा छोटेलाल एवं छोटुराम दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **<u>आदेश</u>** **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम कोट पटवार हल्का नांगल तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 108, 39, 89, 90 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम छोटेलाल पुत्र सुवालाल के बजाय छोटू राम सैनी पुत्र सुवालाल दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।** (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी **निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (राम सिंह राजावत) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 12:48:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner